



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

जयपुर, दिनांक- 5.11.2014

एक.15(1)पुनर्गठन/विधि/संसाध/2014/

1501

अतिरिक्त

विभागीय अधिसूचना संख्या एक.15(1)पुनर्गठन/विधि/संसाध/2014/510 दिनांक 02.08.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्ति आंगव्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिवृत्त किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा अधिवृत्त कार्रवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अपीलवाओं का परीक्षण कर प्रस्तावों को संबंधित संगीय अधुना द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन कराये जाने के पश्चात् दीकानेर जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और कि :-

1. दीकानेर जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समितियाँ उस नाम से जानी जायेंगी जो कि नीचे वर्णित अनुसार की स्तम्भ 4 में वर्णित है;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानिर्दिष्ट पंचायत समिति अधिकारिता का प्रयोग करनी ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;
3. अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथानिर्दिष्ट पंचायत समितियों के चुनाव छ माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;
4. और शेषित आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विधानन 8 पंचायत समितियाँ जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विधानन नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देंगी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

क्र.सं.	वर्तमान पंचायत समिति का मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	पुनर्गठित/नवसृजित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	पुनर्गठित/नवसृजित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम
1	नोखा	1 सोमलसर 2 दीकानेर 3 रोड़ा 4 नोखागांव 5 भाटसर 6 पारवा 7 सुरपुरा 8 सिजपुरा 9 नोरखाणा 10 गजलपदेसर 11 कुशीर आधुनी 12 सिनियाला 13 उडसर 14 कुशीर आधुनी 15 साधार 16 लालमदेसर बड़ा 17 बाधन 18 मसूरी 19 जसरासर 20 गजसुखदेसर 21 बिलनियासर	1 जसरासर 2 सोमलसर 3 सिजपुरा 4 नोरखाणा 5 गजलपदेसर 6 कुशीर आधुनी 7 सिनियाला 8 उडसर 9 कुशीर आधुनी 10 साधार 11 लालमदेसर बड़ा 12 बाधन 13 मसूरी 14 बिलनियासर 15 मसरा 16 जसलसर 17 झाडेली 18 धावरिया 19 काकड़ा 20 हिनटसर 21 मुकाम	1 जसरासर 2 सोमलसर 3 सिजपुरा 4 नोरखाणा 5 गजलपदेसर 6 कुशीर आधुनी 7 सिनियाला 8 उडसर 9 कुशीर आधुनी 10 साधार 11 लालमदेसर बड़ा 12 बाधन 13 मसूरी 14 बिलनियासर 15 मसरा 16 जसलसर 17 झाडेली 18 धावरिया 19 काकड़ा 20 हिनटसर 21 मुकाम

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं अधुना

प्रतिश्रीति निम्न को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/सिनिष्ठ शासन सचिव राज0 जयपुर।
6. समस्त संमानीय आयुक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय भूदणालय जयपुर को प्रकाशनाथ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव(विधि)

विभागीय अधिसूचना संख्या एक.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 को द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबद्धित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्संयोजन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, शाब्दजनिक अवलोकन के लिये प्रस्तावित करने, एक माह की अवधि में अप्रतिरक्षित आनवृत्त करने एवं उन पर सुनिवार्य करने के कार्य हेतु अधिसूचित किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उन्मुख कार्यवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अभिशप्ताओं का परीक्षण कर प्रस्तावों को संबद्धित संमानीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् बीकानेर जिले की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्संयोजन/नवसृजन किया जा चुका है और कि :-

1. बीकानेर जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित ग्राम पंचायतें उस नाम से जानी जायेगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित है;
2. यह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित है;

यह वर्णित पंचायतें अधिकांशतः का प्रयोग करणी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;

अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथावर्णित पंचायतों के अग्राहक छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं।

अन्य यथावर्णित आदेश से बुनायत के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायतें जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं, उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायतों का कार्यकाल परम्प होगा।

पंचायत समिति बीकानेर				
क्र.सं.	पुनर्गठन/पुनर्संयोजन/नवसृजन का नाम	पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित ग्रामों का नाम
1	मातासर	1. मातासर 2. आइया 3. मेहरार 4. आनसूरी 5. समर्थदास	मातासर	1. मातासर 2. आइया 3. मेहरार
2	-	-	आनसूरी	1. आनसूरी 2. जगदियावासी
3	कानासर	1. कानासर 2. शाह स्यामत 3. अक्षय 4. मेहरार 5. मेहरार	कानासर	1. कानासर 2. शाह स्यामत

प्रधान सचिव-कोरवा			
क्र.	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
1	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
2	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
3	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
4	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
5	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
6	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
7	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
8	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
9	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
10	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
11	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
12	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
13	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
14	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
15	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम
16	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम	प्रश्न का नाम

34	धरतीक	1. धरतीक 2. मातसर 3. गरह कलसर 4. रातडिया 5. रातडिया 6. गुमातर 7. गुमातर 8. गुमातर मातसर	धरतीक	1. धरतीक 2. मातसर 3. गरह कलसर
35	-	-	रातडिया	1. रातडिया 2. मातसर 3. गुमातर 4. गुमातर 5. रातडिया मातसर

पंचायत समिति-खोडगुला				
क्र.सं.	प्रस्तावित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित ग्राम पंचायत में सम्मिलित प्रस्ताव के नाम	प्रस्तावित ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्रामों के नाम	प्रस्तावित ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्रामों के नाम
1	2	3	4	5
1	आनन्दपुर	1. 17 डोडलपुरी ए 2. 17 डोडलपुरी बी 3. 14 डोडलपुरी 4. 15 डोडलपुरी 5. 16 डोडलपुरी 6. 18 डोडलपुरी ए 7. 18 डोडलपुरी बी 8. 19 डोडलपुरी 9. 3 एतलपुर 10. 4 एतलपुर 11. 8 एतलपुर 12. 8 एतलपुर 13. 6 कोरली 14. 7 कोरली 15. 8 कोरली 16. 9 कोरली 17. 10 कोरली 18. 11 कोरली 19. 12 कोरली 20. 13 कोरली ए 21. 13 कोरली बी 22. 13 कोरली ए 23. 14 कोरली बी 24. 15 कोरली 25. 16 कोरली 26. 17 कोरली 27. 18 कोरली 28. 19 कोरली (सीडी) 29. 9 डोडलपुरी 30. 10 डोडलपुरी 31. 11 डोडलपुरी ए 32. 12 डोडलपुरी बी 33. 13 डोडलपुरी 34. 39 कोरली 35. 40 कोरली ए 36. 40 कोरली ए 37. 40 कोरली ए 38. 13 कोरली जल 39. 18 डोडलपुरी (सी)	आनन्दपुर (17 डोडलपुरी)	1. 17 डोडलपुरी ए 2. 17 डोडलपुरी बी 3. 14 डोडलपुरी 4. 15 डोडलपुरी 5. 16 डोडलपुरी 6. 18 डोडलपुरी ए 7. 18 डोडलपुरी बी 8. 19 डोडलपुरी 9. 3 एतलपुर 10. 4 एतलपुर 11. 8 एतलपुर 12. 8 एतलपुर 13. 6 कोरली 14. 7 कोरली 15. 8 कोरली 16. 9 कोरली 17. 10 कोरली 18. 11 कोरली 19. 12 कोरली 20. 13 कोरली ए 21. 13 कोरली बी 22. 13 कोरली ए 23. 14 कोरली बी 24. 15 कोरली 25. 16 कोरली 26. 17 कोरली 27. 18 कोरली 28. 19 कोरली (सीडी) 29. 9 डोडलपुरी 30. 10 डोडलपुरी 31. 11 डोडलपुरी ए 32. 12 डोडलपुरी बी 33. 13 डोडलपुरी 34. 39 कोरली 35. 40 कोरली ए 36. 40 कोरली ए 37. 40 कोरली ए 38. 13 कोरली जल 39. 18 डोडलपुरी (सी)

26		मुद्रण का गुण (ह बीडी)	1. मुद्रण का गुण (ह बीडी) 2. 4 बीडी 3. 6 बीडी 4. 8 बीडी 5. 10 बीडी 6. 12 बीडी 7. 14 बीडी 8. 16 बीडी 9. 18 बीडी 10. 20 बीडी 11. 22 बीडी 12. 24 बीडी 13. 26 बीडी 14. 28 बीडी 15. 30 बीडी 16. 32 बीडी 17. 34 बीडी 18. 36 बीडी 19. 38 बीडी 20. 40 बीडी 21. 42 बीडी 22. 44 बीडी 23. 46 बीडी 24. 48 बीडी 25. 50 बीडी
27	अनुरा	अनुरा	1. अनुरा 2. अनुरा 3. अनुरा 4. अनुरा 5. अनुरा 6. अनुरा 7. अनुरा 8. अनुरा 9. अनुरा 10. अनुरा 11. अनुरा 12. अनुरा 13. अनुरा 14. अनुरा 15. अनुरा 16. अनुरा 17. अनुरा 18. अनुरा 19. अनुरा 20. अनुरा 21. अनुरा 22. अनुरा 23. अनुरा 24. अनुरा 25. अनुरा

28	आरुत	आरुत (1-2)	आरुत (1-2 टैमपार) 1. आरुत (1-2 टैमपार) 2. आरुत (1-2 टैमपार) 3. आरुत (1-2 टैमपार) 4. आरुत (1-2 टैमपार) 5. आरुत (1-2 टैमपार) 6. आरुत (1-2 टैमपार) 7. आरुत (1-2 टैमपार) 8. आरुत (1-2 टैमपार) 9. आरुत (1-2 टैमपार) 10. आरुत (1-2 टैमपार) 11. आरुत (1-2 टैमपार) 12. आरुत (1-2 टैमपार) 13. आरुत (1-2 टैमपार) 14. आरुत (1-2 टैमपार) 15. आरुत (1-2 टैमपार) 16. आरुत (1-2 टैमपार) 17. आरुत (1-2 टैमपार) 18. आरुत (1-2 टैमपार) 19. आरुत (1-2 टैमपार) 20. आरुत (1-2 टैमपार) 21. आरुत (1-2 टैमपार) 22. आरुत (1-2 टैमपार) 23. आरुत (1-2 टैमपार) 24. आरुत (1-2 टैमपार) 25. आरुत (1-2 टैमपार) 26. आरुत (1-2 टैमपार) 27. आरुत (1-2 टैमपार) 28. आरुत (1-2 टैमपार) 29. आरुत (1-2 टैमपार) 30. आरुत (1-2 टैमपार) 31. आरुत (1-2 टैमपार)
29	-	-	1. आरुत (1-2 टैमपार) 2. आरुत (1-2 टैमपार) 3. आरुत (1-2 टैमपार) 4. आरुत (1-2 टैमपार) 5. आरुत (1-2 टैमपार) 6. आरुत (1-2 टैमपार) 7. आरुत (1-2 टैमपार) 8. आरुत (1-2 टैमपार) 9. आरुत (1-2 टैमपार) 10. आरुत (1-2 टैमपार) 11. आरुत (1-2 टैमपार) 12. आरुत (1-2 टैमपार) 13. आरुत (1-2 टैमपार) 14. आरुत (1-2 टैमपार) 15. आरुत (1-2 टैमपार) 16. आरुत (1-2 टैमपार) 17. आरुत (1-2 टैमपार)



आवा (6 एडवोकेट)	1. एडवोकेट
	2. 1 एडवोकेट बिना संपर्क
	3. 2 एडवोकेट
	4. 3 एडवोकेट
	5. 4 एडवोकेट बिना संपर्क
	6. 5 एडवोकेट
	7. 6 एडवोकेट
	8. 7 एडवोकेट
	9. 8 एडवोकेट
	10. 9 एडवोकेट
	11. 10 एडवोकेट
	12. 11 एडवोकेट
	13. 12 एडवोकेट
	14. 13 एडवोकेट
	15. 14 एडवोकेट
	16. 15 एडवोकेट
	17. 16 एडवोकेट
	18. 17 एडवोकेट
	19. 18 एडवोकेट
	20. 19 एडवोकेट
	21. 20 एडवोकेट
	22. 21 एडवोकेट
	23. 22 एडवोकेट
	24. 23 एडवोकेट

राज्यपाल को आज्ञा है,

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महादेव राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राज(0) जयपुर।
6. समस्त स्तरीय शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राज(0) जयपुर।
7. समस्त स्तरीय शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राज(0) जयपुर।
8. समस्त स्तरीय शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राज(0) जयपुर।
9. अध्यक्ष, राज्य केन्द्रीय मण्डलाध्यक्ष जयपुर को प्रकाशनाथ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
11. रक्षित प्रभावनी।

(राजेश यादव)